सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 141/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. श्योराम पुत्र बलदेव
2. जयराम पुत्र बलदेव

समस्त जाति मीणा निवासीगण प्रतापपुरा तहसील सावर जिला अजमेर राज.

—प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. भंवर महेन्द्र पुत्र देवराज कोम राजपूत निवासी सावर तह. सावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

3. रूकमा पुत्री बलदेव
4. छोटी पुत्री बलदेव

समस्त जाति मीणा निवासीगण प्रतापपुरा तह. सावर जिला अजमेर राज.

———प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक 18.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता स. 160 के खसरा नम्बर 5126,5127,5138/5811कुल किता 3 , कुल रकबा 0.97 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से के अनुसार फसल काश्त कर प्राप्त कर रहे है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात का नक्शा ट्रेश सम्वत 2039—40 में राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त वर्णित आराजीयात को अन्यत्र स्थान पर दर्शित कर दिया जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सावर में पेश हुई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी की आराजीयात जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रेमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता स. 160 के खसरा नम्बर 5126, 5127, 5138/5811कुल किता 3 , कुल रकबा 0.97 हैक्ट भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 को मूल दावा निस्तारण होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी सं.1 स्वयं एवं उनके नोकर चाकर हाली सीरी इत्यादी प्रार्थीगण की आराजीयात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें एव ंना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी